

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017—चैत्र 6, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2017

क्र. 5231-66-इककीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१७

[दिनांक २६ मार्च, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ मार्च, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]।

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१७ है।

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ६९,६६,०७,५२,८०० का दिया जाना।

विनियोग।

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये ३५: हजार नौ सौ छियासठ करोड़ सात लाख बाबन हजार आठ सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी।

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१)	(२)	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
अनुदान का संख्यांक	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा मतदत्	संचित निधि पर भारित	योग रुपये
		रुपये	रुपये	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	पूँजी	१००	०
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२४,५५,००,०००	१,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१२,००,१००	०
१२.	ऊर्जा	राजस्व पूँजी	४८,४५,८२,००,००० २००	६३,१३,३५,००० ०
				४९,०८,९५,३५,००० २००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
	राजस्व	रुपये
	८००	८००
१७. सहकारिता		
	राजस्व	रुपये
	१००	१००
	पूँजी	८७,९२,००,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
	राजस्व	रुपये
	७०,००,००,०००	७०,००,००,०००
	पूँजी	१००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण		
	राजस्व	रुपये
	१६,२५,०००	१६,२५,०००
२३. जल संसाधन		
	पूँजी	रुपये
	१००	१००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल		
	पूँजी	रुपये
	२,७०,००,०१,२००	२,७०,००,०१,२००
२६. संस्कृति		
	राजस्व	रुपये
	१,००,००,०००	१,००,००,०००
३०. ग्रामीण विकास		
	पूँजी	रुपये
	६,९२,८९,८९,०००	६,९२,८९,८९,०००
३२. जनसंपर्क		
	राजस्व	रुपये
	२०,००,००,०००	२०,००,००,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण		
	पूँजी	रुपये
	२,५४,८२,००,०००	२,५४,८२,००,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
	पूँजी	रुपये
	१००	१००
५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	राजस्व	रुपये
	१,१८,८७,०७,०००	१,१८,८७,०७,०००
५५. महिला एवं बाल विकास		
	राजस्व	रुपये
	२,३६,७५,०००	२,३६,७५,०००

(१)	(२)	(३)	
	रुपये	रुपये	रुपये
७०. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व ७२,००,०००	०	७२,००,०००
७३. चिकित्सा शिक्षा	पूँजी ७७,००,००,०००	०	७७,००,००,०००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ४,२४,४९,०९,०००	१२,१९,१०,०००	४,३६,६८,१९,०००
योग : { राजस्व : ५५,०८,१०,१७,०००	७५,३३,४५,०००	५५,८३,४३,६२,०००	
पूँजी : १३,८२,६३,९०,८००	०	१३,८२,६३,९०,८००	
वृहद-योग : ६८,९०,७४,०७,८००	७५,३३,४५,०००	६९,६६,०७,५२,८००	

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. 5231-66-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

### MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2017

### THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th March, 2017].

### An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2016-2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2017.

**2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Six thousand nine hundred sixty-six crore seven lakh fifty-two thousand eight hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.**

Issue of Rs.  
69,66,07,52,800  
from and out of  
the Consolidated  
Fund of the State  
for the Financial  
Year 2016-2017.

**3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.**

Appropriation.

### THE SCHEDULE

*(See Sections 2 and 3)*

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			Total Rs.
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Rs.	
01.	General Administration	Capital	100	0	100
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	24,55,00,000	1,00,000	24,56,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	12,00,100	0	12,00,100
12.	Energy	Revenue	48,45,82,00,000	63,13,35,000	49,08,95,35,000
		Capital	200	0	200
13.	Former Welfare and Agriculture Development	Revenue	800	0	800
17.	Co-operation	Revenue	100	0	100
		Capital	87,92,00,000	0	87,92,00,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	70,00,00,000	0	70,00,00,000
		Capital	100	0	100
22.	Urban Development and Environment	Revenue	16,25,000	0	16,25,000

(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
23. Water Resources Department		
Capital	100	0
100		
24. Public Works-Roads and Bridges		
Capital	2,70,00,01,200	0
		2,70,00,01,200
26. Culture		
Revenue	1,00,00,000	0
		1,00,00,000
30. Rural Development		
Capital	6,92,89,89,000	0
		6,92,89,89,000
32. Public Relations		
Revenue	20,00,00,000	0
		20,00,00,000
39. Food, Civil Supplies and Consumer Protection		
Capital	2,54,82,00,000	0
		2,54,82,00,000
45. Minor Irrigation Works		
Capital	100	0
		100
53. Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions		
Revenue	1,18,87,07,000	0
		1,18,87,07,000
55. Women and Child Development		
Revenue	2,36,75,000	0
		2,36,75,000
70. Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department.		
Revenue	72,00,000	0
		72,00,000
73. Medical Education Department		
Capital	77,00,00,000	0
		77,00,00,000
75. Financial assistance to Urban bodies		
Revenue	4,24,49,09,000	12,19,10,000
		4,36,68,19,000
Total ..	5,5,08,10,17,000	75,33,45,000
{ Capital ..	13,82,63,90,800	0
		13,82,63,90,800
Grand Total ..	68,90,74,07,800	75,33,45,000
		69,66,07,52,800